



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21486 वर्ष 2026

भुवनेंद्र सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

|                       |   |                                     |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| आवेदक के अधिवक्ता     | : | अरविंद कुमार वर्मा, उदय शंकर तिवारी |
| प्रतिवादी के अधिवक्ता | : | शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)              |

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-1

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या-483 वर्ष 2025, धारा 80(2) एवं 85 बी.एन.एस. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी के अंतर्गत, उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. अभियोजन के अनुसार, आवेदक मृतका का पति है तथा दोनों का विवाह दिनांक 24.02.2025 को संपन्न हुआ था। यह भी आरोप है कि विवाह के उपरांत आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित एवं उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण हो गए। दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20.12.2025 को सूचनाकर्ता को मृतका के ससुर का फोन आया, जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसकी पुत्री की स्थिति गंभीर है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही सूचनाकर्ता तत्काल मृतका के ससुराल पहुँचा, जहाँ उसने पाया कि उसकी पुत्री की विषाक्त पदार्थ का सेवन करने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो चुकी थी।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका का प्रिंसी नामक एक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग था। उक्त संबंध की जानकारी होने पर आवेदक ने इसका विरोध किया। इसके पश्चात्, आवेदक एवं उसके परिवारजनों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मृतका ने कथित रूप से विष की खोज की तथा ऑनलाइन खरीदारी के माध्यम से क्रय किया गया सेल्फॉस का सेवन कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका को अस्पताल में भर्ती कराए जाने हेतु सहमति-पत्र पर स्वयं सूचनाकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि अपने कथन में उसने कहा है कि सूचना प्राप्त होने पर वह अपनी पुत्री के ससुराल पहुँचा, जहाँ उसने पाया कि उसकी पुत्री की विषाक्त पदार्थ का सेवन करने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। यह भी तर्क दिया गया कि अतिरिक्त दहेज की मांग के संबंध में आवेदक की किसी प्रकार की कोई सलिप्तता नहीं थी, क्योंकि अनेक अवसरों पर आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों ने मृतका एवं सूचनाकर्ता के बैंक खातों में धनराशि अंतरण कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 02.04.2026 से निरुद्ध होकर कारागार में है। इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हुए संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि आवेदक ने ऐसा अपराध कारित किया है, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त हैं, जिनसे यह

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



परिलक्षित होता है कि आवेदक ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित किया। अतः आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

6. अपराध की प्रकृति, प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्त की संलिप्तता तथा दण्ड की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक **भुवेन्द्र सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदारों तथा एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा और न ही ऐसे किसी अपराध में भाग लेगा, जो उस अपराध के समान प्रकृति का हो जिसके लिए उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जाए।

(iii) आवेदक इस आशय का एक अभ्यावेदन/प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु नियत हो और गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (जिसके समतुल्य बी.एन.एस. की धारा 269 है) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (जिसके समतुल्य बी.एन.एस. की धारा 84 है) के अंतर्गत उद्धोषणा जारी की जाती है और उक्त उद्धोषणा में नियत तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (जिसके समतुल्य बी.एन.एस. की धारा 209 है) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—  
(1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप निर्धारण तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसके समतुल्य बी.एन.एस. की धारा 351 है) के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन हेतु। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह ऐसे चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की दशा में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

**(माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-1)**

**25 जून, 2026**

**आशुतोष**